कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

ग्वालियर, मध्य प्रदेश

[उपायुक्त (विधि) के पद हेतु आवेदन आमंत्रण का विज्ञापन]

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष – आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर की स्थापना में उपायुक्त (विधि) वेतनमान रूपये 15600-39100+6600 ग्रेड पे के 01 रिक्त पद को राजस्व अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है । मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2008 की अनुसूची – तीन के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा उपायुक्त (विधि) के लिये न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि स्नातक एल.एल.बी. (न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण) तथा राज्य शासन के राजस्व विभाग में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव अनिवार्य है । उपायुक्त (विधि) की आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त की स्थापाना में प्रतिनियुक्ति पर सेवायें लेकर राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल में प्रमुख सचिव /सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के सामान्य नियंत्रण, निर्देशन एवं अधीक्षण में विभाग के विधि विषयक कार्य सम्पादन के लिये स्थापना की जायेगी ।

2. उपायुक्त (विधि) के उक्त पद हेतु आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष (दिनांक 01 नवम्बर, 2016 की स्थिति में) होना आवश्यक है ।

3. इच्छुक आवेदक आन-लाईन आवेदन आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त के पोर्टल www.landrecords.mp.gov.in से डाऊनलोड कर विभागीय ई-मेल clrgwa@mp.gov.in अथवा रजिस्टर डाक द्वारा भरकर कार्यालय में दिनांक 20 अक्टूबर 2016 तक प्राप्त हो जाना चाहिये ।

(यह विज्ञापन राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।)

आयुक्त

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,

म.प्र.

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

एफ. 1-01-2016-सात-4बी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची—दो में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8		उप आयुक्त (विधि)	1	100% अथवा कॉलम (7) के अनुसार.		राजस्व अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा.".

(2) अनुसूची—तीन में, कॉलम (1) में, विद्यमान अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"1 उप आयुक्त (विधि) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में विधि स्नातक (एल. एल. बी.) अथवा एल. एल. एम. (न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण).
	उप आयुक्त (विधि) प्रतिनियुक्ति द्वारा.	30 वर्ष	50 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक एल. एल. बी. (न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण) तथा राज्य शासन के राजस्व विभाग में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 1-01-2016-सात-शा.4बी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक एफ. 1-01-2016-सात-शा.4बी., दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

F. 1-01-2016-VII-4B.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of the Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh, Land Records and Settlement Gazetted Service Recruitment Rules, 2008, namely:—

AMENDMENTS

In said Rules,—

(1) In Schedule II, in column (1), for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8	-	Deputy Commissioner (Law)	1	100% or As per column (7)	-	By Deputation of Revenue Officer.".

(2) In Schedule III, in column (1), for existing serial number 1 and existing entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Deputy Commissioner (Law) by Direct Recruitment through M.P.P.S.C.	21 Years	35 Years	L.L.B. in first Division or L.L.M. (passed with minimum 55%) from any recognized University.
	Deputy Commissioner (Law) By Deputation.	30 Years	50 Years	LL.B. (passed with minimum 55%) from any recognized University and minimum seven years experience of the Revenue Department of the State Government.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति हेतु

पद - उपआयुक्त (विधि)

1	पूरा नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म दिनांक	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	आयु (दि.1.11.12016 की स्थिति में)	
7	जाति	
8	विकलांगता की स्थिति (हाँ /नहीं)	
8	शैक्षणिक आर्हता	
9	वर्तमान धारित पद एवं विभाग का नाम, नियुक्ति का दिनांक	
10	अनुभव प्रमाण पत्र	
11	मूल विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

घोषणा

में घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सम्पूर्ण एवं सत्य है, इसमें कोई भी जानकारी मेरे द्वारा छिपाई नहीं गई है ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर